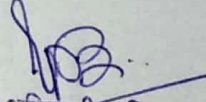


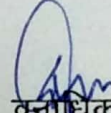
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता/उपलब्धता सम्बन्धी प्रमाण पत्र

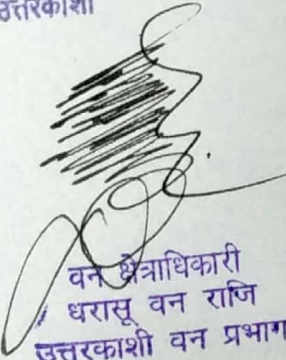
परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बादसी-गोलोक धाम खाण्ड मोटर मार्ग से कटखन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.89 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

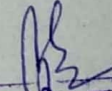
प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना हेतु याचित भूमि 1.00 है० से कम यानि 0.89 है० मात्र वन भूमि है, 1.00 है० से कम वन भूमि होने के फलस्वरूप अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-56/7-1, (व०भूह०) 66(75) 2008, दिनांक 22.03.2012 के अनुसार परियोजना पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागू न होने के आदेश प्राप्त है। जिस कारण परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये स्थल उपयुक्तता/उपलब्धता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन की आवश्यकता नहीं है।


सदस्य अभियन्ता तृतीय
पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
उत्तरकाशी


अधिग्रहीत अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
उत्तरकाशी


प्रभागीय वनाधिकारी,
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।


वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी